राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः–एफ. 3(ख) (एस–634/86)/अलेसे–II/ दिनांकः– 18/11/2015

कार्यालय आदेश

श्री सुदेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नं. 6302) कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर जिनकी जन्मतिथि 30.09.1959 व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.05.1978 एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति दिनांक 12.07.1988 है, ने संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर के माध्यम से प्रेषित अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.10.2015 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के तहत व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण दिनांक 01.02.2016 से नियमानुसार तीन माह का अग्रिम नोटिस देकर राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है।

अतः श्री सुदेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II की राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की जाती है।

वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री सुदेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के विरूद्व आज तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–17 के अधीन कोई कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः–एफ. 3(ख) (एस–634/86)/अलेसे–II/ 24051 – 62 दिनांकः– 18/11/2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, पेंशन एंव पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर ।
4. श्री सुदेश कुमार शर्मा, स.ले.अ. ग्रेड– II, कार्यालय, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर ।
5. संयुक्त निदेशक, विधि/जाँच।
6. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)